मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

खट्टर की नौटंकी के चार साल 3
कार्पोरेट लूट की पहाड़ी 4
मोदी के चेहरे पर कालिख पुती 5
डिप्टी गर्वनर ने भी मुंह खोला 8

वर्ष 31 अंक -44 फ़रीदाबाद 28 अक्टूबर-3 नवम्बर 2018 फोन : - 9999595632 ₹2.50

सीबीआई बनाम सीबीआई नहीं अमित शाह बनाम अहमद पटेल !

गत नवम्बर में जब राकेश अस्थाना को सीबीआई में एडिशनल डायरेक्टर से स्पेशल डायरेक्टर बनाया जाना था उनके बॉस आलोक वर्मा ने सीवीसी को चिट्ठी लिख कर सूचित किया कि अस्थाना के विरुद्ध छह मामलों में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आये हैं और उनकी जांच चल रही है। न सिर्फ मोदी सरकार के सीवीसी ने इस चिट्ठी का संज्ञान नहीं लिया बल्कि मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी ने एक ही दिन में अस्थाना की पदोन्नति पर स्वीकृति की मुहर लगा दी।

लिहाजा, बेशक सीबीआई चीफ और उनके डिप्टी फिलहाल एक दूसरे पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हों और उन्हें छुट्टी भेजकर जिस अफसर को सीवीसी की मार्फत नया चीफ बनाया गया वह भी ऐसे ही आरोपों से घिरा हो, लेकिन इस बेशर्म कलह की जब स्वयं प्रधानमन्त्री हैं। यहाँ तक कि अस्थाना को अपने मंसूबों में फलने-फूलने के लिए मन माफिक सहयोगी जुटाने का खुला अवसर भी देश के प्रधानमन्त्री के इशारे पर ही मुहैय्या हुआ।

इसी वर्ष जुलाई में आलोक वर्मा इंटरपोल की कांफ्रेंस में शामिल होने देश से बाहर क्या गये, सीवीसी की ओर से आनन-फानन में नए अफसरों को सीबीआई में लेने की बैठक बुला ली गयी। वर्मा के लिखित विरोध के बावजूद पीएमओ और सीवीसी ने अस्थाना को इस बैठक में सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने दिया और इस तरह अस्थाना के चहेते लोग सीबीआई में शामिल कर लिए गए। इन्हीं में से एक डीएसपी को वर्मा के आदेश पर अस्थाना के विरुद्ध दर्ज हुए केस में गिरफ्तार भी किया जा चुका है।

मोदी की गुरुतर बेशर्मी के कद को उनके बड़े पद के समकक्ष होने का श्रेय जरूर दिया जाना चाहिये। आज कम ही लोगों को याद होगा कि नब्बे के दशक के शुरू में प्रधानमन्त्री चंद्रशेखर की सरकार हरियाणा पुलिस के दो सिपाहियों की निगरानी के चलते गिर गयी थी। तब बुरी तरह उखड़े चंद्रशेखर को राजीव गांधी के दूतों ने मनाने का बहुत प्रयास किया पर बात बनी नहीं। सीबीआई में आये प्रशासनिक भूकंप की वजह कम से कम वरिष्ठ आईपीएस अफसर तो बने जो नरेंद्र मोदी की मीडिया के दम पर बनायी 'न खाऊँगा न खाने दूंगा' साख को बेतरह क्षति पहुंचा गये हैं।

सीबीआई में भ्रष्टाचार की जंग कोई नई बात नहीं, बेशक इतने खुले में पहली बार नजर आ रही हो। दरअसल, जो मांस व्यापारी मोईन कुरैशी ताजातरीन जंग के केंद्र में है, वह सीबीआई के दो पूर्व डायरेक्टरों का खासमखास दल्ला रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुयी जांच में ये दोनों डायरेक्टर घोर भ्रष्टाचार के दोषी पाये गए और स्वयं सीबीआई के जिम्मे इनके विरुद्ध केस को सिरे चढाने का कार्यभार आन पड़ा। अस्थाना और वर्मा के बीच एक दूसरे पर रिश्वत के आरोप की महाभारत में यही मुईन कुरैशी शिखंडी बनाया हुआ है।

यूं भी यह जंग सीबीआई बनाम सीबीआई न होकर अमित शाह बनाम अहमद पटेल का नमूना ज्यादा है। जितनी प्रशासनिक नहीं उससे अधिक राजनीतिक। दो टूक कहें तो केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद अमित शाह ने अपने आका के राजनीतिक हित साधने में सीबीआई को वैसे ही हांका है जैसे मनमोहन सरकार में अहमद पटेल करते रहे थे। संयोग से दोनों गुजरात से हैं; अमित शाह, नरेंद्र मोदी की कठपुतली भाजपा के अध्यक्ष और अहमद पटेल तब की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रमुख किरदार!

अगर अहमद पटेल के संचालन दौर में आज जैसी खुली कलह सीबीआई ने नहीं देखी तो कह सकते हैं कि आज के दिन अमित शाह की 'तड़ीपार' कार्य-शैली सीबीआई अफसरों के सर चढ़ कर बोल रही है। भूलना नहीं चाहिए कि शाह के गुजरात का गृह मंत्री रहते, इसी कार्य-शैली के शिकार, मोदी के वफादार दो दर्जन से अधिक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हत्या और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में जेल पहुँच गये थे।

यहाँ, सीबीआई चलाने में, कांग्रेस और भाजपा सरकारों के चरित्र का अंतर भी अपना काम कर रहा है। जहाँ मनमोहन सरकार में 'भ्रष्टाचार' को अफसरों के प्रलोभन का मुख्य हथियार बनाया जाता था, मोदी सरकार में 'धौंस-पट्टी' भी शामिल है। इसी का प्रतिबिम्ब है कि सीबीआई के दो भ्रष्टतम डायरेक्टर, जिनका जिक्र ऊपर आया है, एपी सिंह और रंजीत सिन्हा, कांग्रेस शासन में अवतरित हुए जबकि इस नामी एजेंसी के इतिहास की सबसे बड़ी अंतर कलह भाजपा शासन में चलती दिख रही है।

मौजूदा सीबीआई तनाव की छानबीन के क्रम में निम्न पक्षों, आयामों व प्रसंगों को ध्यान में रखने से सहजता होगी।

1. सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा की छुट्टी होने से रेखांकित हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच एजेंसी को पिंजरे में कैद तोता यूँ ही नहीं कहा था- 'न खाऊँगा न खाने दूंगा' हुंकार की दैत्याकार छवि को सहेजने वाला मोदी भी तोते के जरा सा स्वतंत्र पर फड़फड़ाने को सह नहीं सका।

2. वर्मा को एक मिनट किनारे रख दीजिये। वर्तमान कलह में शामिल शेष दो किरदार, वर्मा विरोधी स्पेशल डायरेक्टर अस्थाना और वर्मा सहयोगी एडिशनल डायरेक्टर अरुण शर्मा की सीबीआई में आने की औकात को समझिये। गुजरात कैडर के ये दोनों अधिकारी राज्य में अमित शाह के प्यादे रहे थे।

3. अस्थाना ने कुख्यात गोधरा काण्ड को एक स्वत: स्फूर्त हिंसक उपद्रव से बदल कर अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम आतंकी साजिश बना दिया था। इसी तरह शर्मा ने अमित शाह के निर्देश पर 'साहब' के लिए उस आर्किटेक्ट महिला की जासूसी करायी थी जिसका नाम मोदी के साथ जोड़ा जाता रहा है।

4. दो वर्ष पहले, वर्मा के पूर्ववर्ती अनिल सिन्हा के रिटायर होने से ठीक पहले मोदी-शाह ने सीबीआई के अगले वरिष्ठ अधिकारी को तो तबादले पर सीबीआई से बाहर भेज दिया और तब काफी जूनियर अस्थाना को कार्यवाहक डायरेक्टर का चार्ज दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के दखल से सेलेक्शन समिति की बैठक हुयी जिसमें मोदी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व नेता विपक्ष लोकसभा भी थे, और मजबूरी में वर्मा को चुनना पड़ा।

5. वर्मा को भी, जो उस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर होते थे, अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद ही डायरेक्टर की कुर्सी के लिए मोदी की हाँ नसीब हुयी थी। ऐसा भी नहीं कि वर्मा ने मोदी-शाह से निभाया नहीं। उदाहरण के लिए मायावती और मुलायम पर कांग्रेस के जमाने से लटकती तलवार का हौव्वा बनाए रखना, ठंडे किये जा रहे व्यापमं प्रकरण को ठंडा रखना और विजय माल्या फरारी पर ढक्कन लगाए रखना, आम लोगों की स्मृति में भी बने हुए हैं।

6. तब भी अस्थाना की शाह समर्थित रंगबाजी के सामने वर्मा ने घुटने नहीं टेके और इसके लिए उन्होंने अभूतपूर्व प्रशासनिक क्षमता दिखायी है। अब वे मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी ले गये हैं। उनकी दो वर्ष की तैनाती इस आधार पर समाप्त नहीं की जा सकती कि 'तोता ज्यादा ही पर फड़फड़ाने लगा था'।

मैंने कुछ दिन पहले मोदी को ऐसा डूबता जहाज कहा था जिसे छोड़कर चूहे भागने लगे हैं। दरअसल, वे जलता हुआ जहाज सिद्ध हो रहे हैं और इस जहाज पर सवार हर व्यक्ति तक आंच पहुंचेगी।

साभार - विकास नारायण राय

'ईमानदार' खट्टर की देखी 'ईमानदारी' अपहरण करने वाले इन्स्पेक्टर को गैलेंटरी मैडल

फ़रीदाबाद (म.मो.) 'मोर्चा' के चंडीगढ स्थित पुलिस मुख्यालय एवं गृह सचिवालय से मिली विश्वस्त जानकारी के अनुसार इन्स्पेक्टर वरुण को गैलेंटरी मैडल के लिये रिकमेंट किया जा रहा है। सुधी पाठक जान लें कि ये वही इन्स्पेक्टर हैं जिनके बारे में **'मज़दूर मोचा'** के 7-13 अक्टूबर 2018 के अंक में 'ईमानदार' खट्टर की पुलिस द्वारा दहशत से वसूली का एक नमूना शीर्षक से लीड स्टोरी प्रकाशित हुई थी। उसमें विस्तारपूर्वक बताया गया था कि किस तरह सेक्टर 21 से एक बिल्डर का अपहरण किया गया था। अपहरण के दौरान उसे गाड़ी से खींच कर निकालते वक्त उसकी एक टांग टूट गयी थी और बिल्डर को कई माह तक बिस्तर पर रहना पड़ा था। अपहरण के बाद उसे, आंखों पर काली पट्टी बांध कर सेक्टर 65 ले जाया गया था। वहां कुछ सूदखोरों द्वारा पहले से ही तैयार कुछ दस्तावेज़ों पर बिल्डर से जबरन हस्ताक्षर कराये गये थे।

पुलिस की इस आतंकी करतूत से बिल्डर इस कदर आंतकित हो गया था कि 21 नवम्बर 2017 को हुई इस घटना के बारे में किसी को भी बताने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अपनी बुरी तरह से टूटी-कुचली टांग के बारे वह सबसे यही कहता रहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। दस्तावेज़ों पर दस्तखत कराते वक्त पुलिस

अधिकारी ने यह कहा था कि यह सब सीपी साहब (हनीफ़ कुरैशी) के आदेश पर किया जा रहा है। जाहिर है इतना सुनने के बाद किसकी हिम्मत हो सकती थी कि पुलिस की इस आतंकी करतूत के बारे में कहीं पर भी मुंह खोल सके।

'मज़दूर मोर्चा' में उक्त समाचार प्रकाशित करते समय ऐसा लग रहा था कि पुलिस अधिकारी अपनी इस काली करतूत के लिये तत्कालीन सीपी को व्यर्थ ही बदनाम कर रहा है; परन्तु उस पूरी कहानी को सरकार के उच्चतम स्तर तक पढ़े जाने के बावजूद कोई संज्ञान लेना तो दूर उसका नाम गैलेंटरी मैडल यानी बहादुरी के तगमे के लिये पुलिस विभाग एवं राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा रिकमेंड करके भारत सरकार को भेजा जा रहा है। विदित है कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह तगमा अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे पाने वाले आयुपर्यंत अनेक प्रकार के आर्थिक लाभ व सेवाओं के अतिरिक्त सेवा-निवृत्त होने की आयु में भी छूट मिलती है।

ऐसे में समझा जा सकता है कि इन्स्पेक्टर वरुण ने उस वक्त सीपी का नाम व्यर्थ में ही नहीं लिया था। अब सिद्ध करता है कि तत्कालीन सीपी के ऊपर भी सरकार का राजनीतिक दबाव रहा होगा। लेकिन सरकार द्वारा पुलिस के हाथों इस तरह की आतंकी करतूत कराने व उसके बाद उसे वीरता पदक देने से पूरी पूलिस फ़ोर्स कितनी बिगड़ेगी व किस तरह से जनता को कुचलेगी समझना कठिन नहीं।

संदर्भवश वरुण को उक्त मैडल उनके द्वारा फ़रवरी माह में हरिया नामक अपराधी के साथी अरूण को मार गिराने के उपलक्ष में प्रदान किया जाना है। पुलिस द्वारा हरिया को मार गिराने के औचित्य की बहस में पड़े बगैर, वरूण को बहादुरी का मैडल तो दे दिया गया है। परन्तु इस वारदात से कुछ माह पहले (21 नवम्बर 2017 को) एक बिल्डर की टांग तोड़ने, अपहरण करने व सूदखोरों की वसूली हेतु दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर कराने के एवज में भी तो वरुण को कोई पदक तो मिलना ही चाहिये।